।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक–ब.शा./जेपीआर/112/07/37885–920 दिनांक– 28-8-08

अधीक्षक एवं उपाधीक्षक,
समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृह,
राजस्थान।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार जयपुर

:: परिपत्र ::

विषय– बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में।

–0000–

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृहों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि बंदियों के स्थाई पैरोल के प्रकरणों पर विचार करने हेतु राज्य स्तरीय स्थाई पैरोल समिति की वर्ष में तीन बार बैठक आयोजित कर प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया है ताकि पात्र बंदियों के प्रकरणों पर सम्यक् विचार किया जा सकें एवं सभी कारागृहों को एक सम्यक् कार्यक्रम की सूचना रहे।

अतः सभी प्रभारियों को निम्नभांति स्थाई पैरोल प्रकरण भिजवाये जाने हेतु सूचित किया जाता है :–

क्र.सं. 1.	विवरण 2.	माह,जिसमें बैठक आयोजित की जानी है। 3.	प्रकरण मुख्यालय में भिजवाने की तिथि 4.
1.	प्रथम बैठक	फरवरी	15 फरवरी तक
2.	द्वितीय बैठक	जून	15 जून तक
3.	तृतीय बैठक	अक्टूबर	15 अक्टूबर तक

यह प्रभाराधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित तिथि तक प्रकरणों को तैयार कर मुख्यालय भेजें । प्रकरण तैयार करने हेतु प्रभाराधिकारी जेल तीन माह पूर्व ही बंदी के प्रकरण से संबंधित यथा अभिमत मँगाने, नकल फैसला मंगाने आदि से संबंधित पत्राचार संबंधित से कर कार्यवाही प्रारंभ करावें ताकि प्रकरण मुख्यालय पर समयावधि में ही प्राप्त हो सकें। प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में अधीक्षक जेल की स्पष्ट प्रवंदना के साथ प्रेषित करें।

परिपत्र की प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रेषित करावें।

28/8

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :– उप शासन सचिव, गृह (जेल) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर